म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासनका उपक्रम)CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्ड आफिसः ब्लाकनं. 2 शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर(म.प्र.) 482008 दूरभाष : (0761) 2702036, 2702041

फैक्सः(0761) 2664450,e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in,

C.E. (Procurement) M.P.P.T.C.L. Jabalpur
05 AUG 2017
R. No. 11691

परिपत्र

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/E-I/2500 दिनांक 03 AUG 2017

म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 3632/2017/तेरह भोपाल, दिनांक 06.06.2017 के अनुसार राज्य शासन द्वारा विद्युत कंपनियों के लिये एक समान प्रतिनियुक्ति नीति लागू करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार म.प्र. पावर ट्रांस.कंपनी लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति नीति–2017 तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

प्रतिनियुक्ति नीति–2017

(अ) सामान्य नियम–

1. विद्युत कंपनियों द्वारा भर्ती किये गये नियमित कार्मिकों की अन्य विद्युत कंपनियों, अन्य विभागों एवं उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के प्रकरणों में मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जारी मूलभूत नियम के प्रावधान लागू होंगे ।
2. विद्युत कंपनियों द्वारा नियुक्त किये गये संविदा कार्मिकों को अन्य कंपनी या शासकीय विभाग/उपक्रम में प्रतिनियुक्ति नहीं दी जावेगी ।
3. म.प्र.राज्य विद्युत मंडल से विद्युत कंपनियों में अंतरित कार्मिकों की अन्य विभागों एवं उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति मध्यप्रदेश में लागू मूलभूत नियम तथा राज्य शासन द्वारा जारी आदेश दिनांक 10 अप्रेल 2012 की कंडिका 4 के प्रावधानों के अनुसार होगी ।
4. न्यूनतम 5 वर्ष की सेवापूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति पर सेवा दी जा सकेगी ।
5. प्रदेश की सभी 6 विद्युत कंपनियों में पैतृक कंपनी से अन्य कंपनी में परस्पर प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा ।
6. प्रतिनियुक्ति अवधि प्रारंभ में अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी तथा दोनों कंपनियों की सहमति के आधार पर ही प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृध्दि की जा सकेगी ।
7. कार्मिक के आवेदन पर प्रतिनियुक्ति किये जाने पर सर्विस टैक्स का भुगतान, अगर देय हो तो, आवेदक द्वारा देय होगा । अन्य स्थिति में जिस कंपनी/ विभाग/ उपक्रम द्वारा कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है, सर्विस टैक्स के दायित्व का वहन उसके द्वारा किया जावेगा ।
8. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिक के वेतन, भत्ते आदि का भुगतान प्रतिनियुक्ति पर लेने वाली कंपनी/विभाग/उपक्रम द्वारा किया जायेगा ।
9. छः विद्युत कंपनियों के मध्य प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का पेंशन/अवकाश अंशदान पैतृक कंपनी द्वारा ही वहन किया जायेगा ।
10. प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान दोनो कंपनियों के आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । परन्तु कार्मिक का कार्य संतोषजनक नही होने पर सेवा लेने वाली कंपनी कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस कर सकेंगी । इसके लिए पैतृक कंपनी की सहमति आवश्यक नहीं होगी ।
11. ऐसे कार्मिक जिनके विरूध्द विभागीय जॉच प्रचलित हो, को प्रतिनियुक्ति पर सेवा देने की पात्रता नहीं होगी ।
12. स्वयं के आवेदन प्रतिनियुक्त किए कार्मिक को यात्रा भत्ता व पदग्रहण काल आदि की पात्रता नहीं होगी ।

(ब) प्रक्रिया–

1. पैतृक कंपनी तथा प्रतिनियुक्ति पर लेने वाली कंपनी की सहमति होने के उपरांत पैतृक कंपनी द्वारा प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को प्रेषित किया जाएगा । शासन आदेश उपरांत पैतृक कंपनी द्वारा आदेश जारी किया जाएगा । कंपनी कैडंर के कार्मिकों के लिए सहायक यंत्री (या उसके समकक्ष) एवं उससे उच्च स्तर के तकनीकी, वित्तीय एवं अन्य संकाय के अधिकारियों के प्रकरणों पर राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी । अन्य प्रकरणों में विद्युत कंपनियॉ आपसी सहमति के आधार पर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही उक्त प्रावधानों के अंतर्गत कर सकेंगी ।
2. विद्युत कंपनियों से अन्य विभागों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति के सभी प्रकरणों में पैतृक कंपनी को शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित है ।

Website पर upload की

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(एफ.डी.ठाकुर)
मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

SE(ET)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/E-I / 2501   दिनांक 3 AUG 2017

प्रतिलिपि–

1 अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2 कार्यपालक निदेशक (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।
3 मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
4 मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा.), म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल/ इंदौर ।
5 कार्यपालक निदेशक (सी.आर.ए.) / (मा.सं.वि.सं.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
6. मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)/(प्रोक्योरमेंट)/(परीक्षण एवं संचार)/(अउदा–निर्माण) /(अउदा–संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(कार्य), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. मुख्य अभियंता (ट्रांस.–पूर्व क्षेत्र)/(ट्रांस.–पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांस.–मध्य क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां. कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
8. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सिविल–ट्रांसमिशन)/(आई.टी.)/(प्रोजेक्ट लाइन)/(प्रोजेक्ट–सब स्टेशन) /(संचा. एवं संधा.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
10. अधीक्षण अभियंता (परीक्षण एवं संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/(सतर्कता), 400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., ...
11. कार्यपालन अभियंता(परीक्षण)/(संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/(उपकेन्द्र)/(कर्मशाला)/ (400 के.व्ही. परीक्षण)/(उप भार प्रेषण केन्द्र) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
12. कंपनी सचिव, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
13. कल्याण अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
14. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
15. निज सचिव संबद्ध निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
16. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
17. वेब मास्टर।

(रोहित शाह)
अधीक्षण अभियंता–एक
कार्या. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)